न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारीः नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./02/2017/जैसलमेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व जिला कलक्टर जैसलमेर के विविध प्रकरण प्रार्थना–पत्र संख्या 01/2014 बनवान गणेशाराम वगैरहा में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व नियम 1970 में पारित निर्णय दिनांक 11.11.2016 के विरूद्ध पेश।

अपीलांट

तहसीलदार, पोकरण

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.गणेशाराम पुत्र कानाराम
2.मदनराम पुत्र श्री कानाराम
3.इन्द्रा पत्नी कानाराम सर्वे जातियान नाई निवासी ओढाणियों तहसील पोकरण जिला जैसलमेर राजस्थान।

उपस्थिति

1. वकील श्री हाजी खां राजकीय अभिभाषक अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री राणीदान सेवक रेस्पोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 15.03.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वक्त आवंटन कानाराम भुमिहीन व्यक्ति नही था उसके स्वयं के नाम ग्राम ओढाणियों के खसरा संख्या 23 में 49.16 बीघा भूमि थी जो मौके पर भूमि उपलब्ध नही है एवं न ही मौके पर भूमि काश्त योग्य है एवं उक्त भूमि आबादी क्षे की है जो भूमि किस्म मगरा की परन्तु उपखण्ड अधिकारी पोकरण के आदेश दिनांक 20.11.1984 के खसरा संख्या 44 में रकबा 47.02 बीघा भूमि के आवंटन एवं उक्त भूमि के भरे गये खातेदारी नामान्तरणकरण संख्या 165 निरस्त कर उसके स्थान पर खसरा संख्या 130 रकबा 47.04 बीघा भूमि पुरानी सीलिंग में अवाप्त भूमि में परिवर्तन कर कानाराम की पत्नी श्रीमती इन्द्रादेवी के नाम से नामान्तरण करण पुनःखोलकर कब्जा देने का आदेश दिया गया। ग्राम ओढानिण के आबादी क्षेत्र में खसरा संख्या 130 काश्त योग्य भूमि नही होने की पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी जिस पर भी मान्य न्यायालय द्वारा कोई गौर नही किया गया है एवं उक्त खसरा संख्या 130 मं 50 बीघा भूमि थानाराम पुत्र श्री रेखाराम कौम मेघवाल के खातेदारी की भूमि दर्ज होने का उल्लेख किया गया है जिस पर भी मान्य न्यायालय कोई गौर नहीं किया गया है। प्रार्थी ने अपनी स्वयं की भूमि को छिपा कर आवंटन कमेटी के समक्ष आवेदन में 75 बीघा भूमि का लिखकर आवेदन किया गया जबकि आवंटन कमेटी से आवंटनकर्ता ने क्लीन हैडसे आवेदन न प्रस्तुत कर, तथ्यों को छिपा कर ही आवंटन किया गया है। उक्त आवंटी ने नियमों को उल्लंघन कर ही आवंटन करवायागया है जो आवंटन भूमि काबिले निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

राजकीय अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि मान्य न्यायालय द्वारा कानाराम पुत्र श्री सिमरथाराम जाति नाई निवासी ओढाणियों के नाम से गलत व मिथ्या सूचना से करवाया गया आवंटन है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के धारा 5 के खण्ड 26 के अनुसार ही भूमिहीन व्यक्ति आवेदन करने के लिए ही आवंटन होने का प्रावधान आते है जबकि प्रार्थी कानाराम ने अपने स्वयं की भूमि खसरा संख्या 23 रकबा 49.16 बीघा भूमि राजस्व रिकॉर्ड में होने के तथ्य को छिपा कर ही आवेदन कर आवंटन करवाया गया है जो गलत तथ्य व झुठा शपथ–पत्र पेश कर करवाया गया है। प्रार्थी द्वारा गलत व मिथ्या आवंटन करवा कर जल्दबाजी में उक्त भूमि को राजस्व रिकॉर्ड को उलझन में डालने के लिए ही के0सी0सी0 करवा कर उक्त भूमि रहन रख कर ऋण प्राप्त कर लिया ताकि विभागीय कार्य से भूमि बैंक के कब्जे में रहे और प्रशासनिक कार्य में समय लगवाया जावे। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि कानाराम द्वारा अपने सीलिंग भूमि के आवंटन के प्रार्थना–पत्र में किसी तथ्य को छिपाया नहीं गया है इसके अलावा कानाराम द्वारा जो आवंटन हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया हैं उसमें भी संबंधित पटवारी द्वारा यह रिपोर्ट की गई है कि रेस्पोडेंट के नाम 49 बीघा भूमि है एवं वह कृषक है। इसके अलावा कानूनन उक्त भूमि का आवंटन राजस्थान इम्पोजिशन सीलिंग ऑन एग्रीकल्चर के प्रावधानों के अन्तर्गत 150 एकड़ तक की भूमि सीलिंग नियमों के अन्तर्गत आवंटित की जा सकती है। पूर्व में कानाराम के पास 49.16 बीघा जमीन ही थी और उसके पश्चात 47.02 बीघा भूमि सीलिंग नियमों के अन्तर्गत आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटित की गई है जो सीलिंग सीमा से कम है ऐसी सूरत में उक्त आवंटन नियमानुसार है और सीलिंग नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

अपीलांट तहसीलदार पोकरण द्वारा अपने अपील मीमो में अपीलाधीन निर्णय के अधीन वाले आवंटन आदेश को निरस्त करने के लिए जो आधार/उज्र बताये है उनमें आवंटी कानाराम का भूमिहीन नहीं होकर उसकी खातेदारी में तब 49.16 बीघा भूमि थी। इस तथ्य को रेस्पोडेंट ने स्वीकारा है लेकिन साथ ही यह भी बतया कि उक्त आवंटन सीलिंग सरप्लस भूमि का सशुल्क/कीमतन किया गया है जो The Rajasthan Imposingh of ceiling on Agricultural holding Rule 1973 की धारा 20 A(1) के अनुसार The extent of land to be allotted shall be- **Provided that the area to be allotted along with the land already held by the allottee shall in no case exceed the**

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

ceiling area applicable to the allottee. इस प्रकार आवंटित भूमि तहसील पोकरण जिला जैसलमेर के लिए निर्धारित सिलिंग सीमा के भीतर ही आवंटित की गई है। मूल आवंटित खसरा संख्या 44 रकबा 47.02 बीघा भूमि को परिवर्तित कर उसी ग्राम के खसरा संख्या 130 में समान रकबा 47.02 बीघा तबादले के फलस्वरूप उपखण्ड अधिकारी पोकरण द्वारा किया गया जो आवंटी द्वारा पूर्ण प्रीमियम/कीमत चुका देने के पश्चात उसे अधिकार में मिलना तय किया गया है। इसमे भी किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांट आवंटन के संबंध में तथ्यों के दुराव/छिपाव, धोखे, आवंटी की अपात्रता या अनियमितता इत्यादि प्रमाणित नहीं कर पाया है। लिहाजा आवंटन को सद्भावी करार दिया जाता है।

पत्रावली पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 15.05.2014 जो तहसीलदार पोकरण(अपीलांट) को संबोधित है, के अनुसार खसरा संख्या 130 रकबा 67.07 बीघा में वर्तमान में. कोई भूमि उपलब्ध नहीं है। खसरा संख्या 130 में 50 बीघा भूमि थानाराम पुत्र श्री रिखाराम कौम मेगवाल सा.देह खातेदार के नाम दर्ज है तथा शेष रकबा 17.07 बीघा गैर मुमकिन गोचर दर्ज है। इस दृष्टि से आवंटी को मूल आवंटित भूमि देने हेतु अपीलांट दायित्वाधीन है। आवंटी को तबादले में दी गई भूमि का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही उसका राजस्व रिकॉर्ड में कोई अमलदरामद ही हुआ है। इसलिए रेस्पोडेंटस को मूल आवंटित खसरे में भूमि देनी लाजमी ठहरती है। अपीलांट की अपील अस्वीकार कर अपीलाधीन आदेश को यथावत रखने के साथ–साथ आवंटी कानाराम को ग्राम ओढाणिया का मूल आवंटित खसरा संख्या 44 में, रकबा 47.02 बीघा आवंटित भूमि का आवंटन आदेश मय नामान्तरकरण बहाल रखा जाकर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड की प्रविष्टियों को देखते हुए उपखण्ड अधिकारी पोकरण का आदेश दिनांक 20.11.1984 अपास्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

15/3/2019

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर केम्प जैसलमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 15.03.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

15/3/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर केम्प, जैसलमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner